THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) Yes, Sir.

(b) The merger scheme was sanctioned by BIFR on 8.4.96. The strength of the workers on that date was 189.

(c) and (d) The Scheme sanctioned by BIFR envisaged that the terms and conditions of service applicable to erstwhile MITCO employees on the effective date are in no way less favourable to them than those applicable to them immediately before the transfer date. The workers and staff of MITCO are now with MMTC employed on the terms and conditions applicable as in MITCO prior to the date of merger i.e., 10.6.96.

Agreements Signed under W.T.O.

4300. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the details of the agreements signed so far under the W.T.O.;

(b) whether Government have reviewed these agreements and their long term impact on India's trade and domestic economy; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) The multilateral trade agreements and associated legal instruments included in the WTO are as follows:—

1. General Agreement on Tariffs and Trade 1994.
2. Agreement on Agriculture
3. Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary measures
4. Agreement of Textiles and Clothing
5. Agreement on Technical Barriers to Trade
6. Agreement on Trade Related Investment Measures
7. Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994
8. Agreement on Implementation of Article VII of General Agreement on Tariffs and Trade 1994
9. Agreement on Pre-shipment Inspection
10. Agreement on Rules of Origin
11. Agreement on Import Licensing Procedures
12. Agreement on Subsidies and Countervailing Measures
13. Agreement on Safeguards
14. General Agreement on Trade in Services
15. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
16. Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes
17. Trade Policy Review Mechanism.

(b) The review of these agreements is an on-going proccess. Their long term impact on India's trade and domesticc economy is also constantly monitored not only through extensive inter-Ministerial consultations but also through regular interface with trade and industry associations and research institutions in the light of the experience gained in the implementation of these agreements.

(c) Does not arise.

निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के कार्यकरण में अनियमितताएं

4301. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों के कार्यकरण में अनेक अनियमितताओं की ओर इशारा किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने 2300 ऐसी इकाइयों की स्थापना करने का निर्णय किया था और अब तक मात्र 500 सक्रिय इकाइयां स्थापित हो सकी हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन इकाइयों में चल रही अनियमितताओं को दूर करने तथा नई इकाइयां स्थापित करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) से (ग) निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की इकाइयां इन इकाइयों को प्रदत्त अनुमोदन/अनुमति पत्र के मापदण्डों के अन्तर्गत और एक्जिम नीति और क्रियाविधियों के अनुसार कार्य कर रही हैं। अनुमोदन पत्र के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व निजी उद्यमियों का है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में जो उदाहरण दिए गए हैं, वे ईपीजेड स्कीम के नीति/क्रियाविधि संबंधी पहलुओं की व्याख्या में अन्तर के कारण हैं जिसके संबंध में लेखा-परीक्षा को सही स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी।

निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (ईपीजेड) में प्रारम्भ से 31 मार्च, 1997 तक स्थापना के लिए स्वीकृत कुल 2333 परियोजनाओं में से 513 इकाइयां प्रचालन में थीं, कार्यान्वयन न कि जाने के कारण 1315 स्वीकृतियां रद्द/समाप्त की गई, 160 इकाइयों का बांड समाप्त किया गया और 200 इकाइयां कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में थीं। परियोजनाओं का कार्यान्वयन न किए जाने के कारणों में सम्मिलित हैं-विदेशी सहयोग, तकनीकी और विपणन समझौतें और क्रय वापसी प्रबंधों को अंतिम रूप देने में विलम्ब, बैंक वित्त की व्यवस्था या प्राप्ति में विलम्ब और संवर्धकों की रुचि की कमी आदि। चूंकि, ईपीजेड इकाइयां अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कार्य करती हैं इसलिए मांग संरचना और अन्य गतिविधियों में अचानक परिवर्तनों के कारण भी उद्यमियों द्वारा परियोजनाओं को छोड़ दिया जाता है। क्षेत्र-प्रशासन उद्यमियों द्वारा परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए लगातार प्रयत्न करता आ रहा है।

विदेशी व्यापार में वृद्धि

4302. **श्री नागमणि:**
श्री ईशदत्त यादव:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वित्तीय वर्ष के दौरान किन-किन देशें के साथ भारत के विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है;

(ख) इस वृद्धि का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान उपर्युक्त देशों और अन्य देशों के साथ व्यापार में और अधिक वृद्धि करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) और (ख) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से प्राप्त अनंतिम आंकड़ों के अनुसार जिन मुख्य देशों के साथ भारत के व्यापार में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान वृद्धि दर्ज की गई उनका ब्यौरा और डालर के रूप में उक्त वृद्धि का प्रतिशत नीचे दिया गया है:-

देश	प्रतिशत वृद्धि	देश	प्रतिशत वृद्धि
बेल्जियम	8.62	हांगकांग	1.42
फ्रांस	2.86	मलेशिया	5.98
यूनान	5.51	यू ए ई	4.03
आयरलैंड	26.98	इजरायल	36.38
इटली	5.04	मिस्र	102.74
पुर्तगाल	30.65	दक्षिण अफ्रीका	36.00
यू.के.	4.75	कनाडा	26.58
स्विटजरलैंड	105.82	यू एस ए	0.23
नेपाल	10.74	ब्राजील	18.60
आस्ट्रिया	12.89	रूस	8.99
चीन	34.08	सीआईएस के बाकी देश	34.04
		दक्षिण अमरीका	15.19

(ग) और (घ) बहुपक्षीय और द्विपक्षीय प्रयासों के तहत निर्यात संवर्धन के अनेक प्रयास किए गए हैं। व्यापारिक भागीदारों के साथ द्विपक्षीय रूप से व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए किए जा रहे सतत् उपायों में हैं: संयुक्त आयोग की बैठकें के दौरान समय-समय पर विचार-विमर्श, द्विपक्षीय रूप से व्यापार शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान और प्रमुख देशों में विशेषीकृत व्यापार मेलें में भागीदारी।

सार्क अधिमानी व्यापार प्रबंध (साप्ता) के तहत द्विपक्षीय व्यापार के संवर्द्धन के लिए आयात शुल्कों को कम किया जा रहा है और गैर-टैरिफ अवरोधों के हटाया जा रहा है। मध्यवर्ती योजनाओं में उभरते व्यापार बाजारों जैसे लैटिन अमरीका, सीआईएस देशों और अफ्रीका के साथ हमारे व्यापार पर एक विशेष दिशात्मक ध्यान दिया जा रहा है। जैसा कि व्यापार आंकड़ों से नोट किया गया है, भारत का निर्यात लैटिन अमरीका, अफ्रीका और सी आई एस देशों के साथ तीव्र गति से बढ़ रहा है।

फल और सब्जियां का निर्यात

4303. **श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा:**
श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत कई वर्षों से देश से फल और सब्जियों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरन कितने-कितने मूल्य के और कितनी-कितनी मात्रा में फल और सब्जियों का निर्यात किया गया;